

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक/न्यायिक/2021/12695

दिनांक : 20/04/2021

:: नोटिस ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2021 से 03.05.2021 तक समस्त प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी निम्न प्रकार नियत की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि कोई स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी तारीख पेशी तक प्रभावी रहेगा:-

तारीख पेशी	फौजदारी प्रकरणों में आगामी तारीख	दीवानी प्रकरणों में आगामी तारीख	प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।	प्रकरण जो (दीवानी एवं फौजदारी), निर्णय/आदेश के प्रक्रम पर नियत है।
20.04.2021	03.06.2021	03.07.2021	22.05.2021	04.05.2021
22.04.2021	04.06.2021	05.07.2021	24.05.2021	04.05.2021
23.04.2021	05.06.2021	06.07.2021	25.05.2021	05.05.2021
24.04.2021	07.06.2021	07.07.2021	26.05.2021	06.05.2021
26.04.2021	08.06.2021	08.07.2021	27.05.2021	07.05.2021
27.04.2021	09.06.2021	09.07.2021	28.05.2021	10.05.2021
28.04.2021	10.06.2021	12.07.2021	29.05.2021	11.05.2021
29.04.2021	11.06.2021	13.07.2021	31.05.2021	12.05.2021
30.04.2021	14.06.2021	14.07.2021	01.06.2021	13.05.2021
01.05.2021	15.06.2021	15.07.2021	02.06.2021	15.05.2021
03.05.2021	16.06.2021	16.07.2021	03.06.2021	17.05.2021

नोट : दीवानी/फौजदारी के जिन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्राप्त हैं, उन प्रकरणों में दिनांक 04.05.2021 की पेशी नियत की जाती है।

sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर

दिनांक : 20/04/2021

क्रमांक/न्यायिक/2021/12696 to 700

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अलवर।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड/फौजदारी लिपिक/दीवानी लिपिक

20/4/21
जिला एवं सेशन न्यायाधीश